रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 2019/श्रावण 28, 1941
No. 291] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 19, 2019/SHRAVANA 28, 1941

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2019

सं. भा.आ.प.-12(1)/2019-मेड.विविध/138769.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" को पुन: संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:—

1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योगयताएं विनियमावली, 1998", में अनुसूची I में दिनांक 01/11/2018 की अधिसूचना के अंतर्गत यथाप्रतिस्थापित खंड-6 में "I. सामान्य विशेषज्ञताएं (एमडी/ एमएस/ डीएनबी)" शीर्षक के अंतर्गत "वरिष्ठ रेजीडेंट (सामान्य विशेषज्ञताएं)" के अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"**वरिष्ठ रेजीडेंट (सामान्य विशेषज्ञताएं)**

वरिष्ठ रेजीडेंट	वरिष्ठ रेजीडेंट वे हैं जो स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा (एमडी/एमएस/डीएनबी/डिप्लोमा) प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित स्नातकोत्तर विषय में अपनी रेजीडेंसी कर रहे हों, और 45 वर्ष से कम आयु के हैं।"

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./178/19]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली, नामत: "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" दिनांक 05 दिसंबर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग III खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03/11/2010, 04/11/2010, 08/07/2011, 11/06/2012, 06/08/2012, 20/04/2015, 11/03/2017, 08/06/2017, 01/11/2018 और 07/06/2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

BOARD OF GOVERNORS

IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2019

No. MCI-12(1)/2019-Med. Misc./138769.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), in Supersession Of Medical Council Of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", namely:-

1 (i) These Regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2019."

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in Schedule I, Clause 6, as substituted vide notification dated 01/11/2018, under the heading "I. Broad Specialties (MD/MS/DNB)' the teaching & research experience of 'Senior Resident (Broad Specialties), shall be substituted as under:-

"Senior Resident (Broad Specialties)

Senior Resident	Senior Resident is one who is doing his/her residency in the concerned post graduate subject after obtaining PG degree/Diploma (MD/MS/DNB/Dip.) and is below 45 years of age.

Dr. R. K. VATS, Secy. General

[ADVT.-III/4/Exty./178/19]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Minimum qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" were published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended vide MCI notifications dated 16.3.2005, 21.7.2009, 28.10.2009, 15.12..2009, 3.11.2010, 4.11.2010, 8.7.2011, 11th June, 2012, 6th August, 2012, 20.4.2015, 11.03.2017, 08.06.2017, 01.11.2018 & 07.06.2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.08.21 15:59:31 +05'30'